EMPOWER IAS
The Power To Pursue Your Dreams

THE HINDU
INDIA'S NATIONAL NEWSPAPER SINCE 1878

Daily News Analysis

द हिंदू यूपीएससी CSE के लिए महत्वपूर्ण समाचार लेख और संपादकीय

Satureday, 29 June , 2024

Edition: International Table of Contents

Page 05 **Syllabus : GS 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	भारत ने FATF मूल्यांकन में 'उत्कृष्ट परिणाम' प्राप्त किया
Page 05 **Syllabus : GS 02 : अंतर्राष्ट्रीय संबंध**	भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर 'गहरी पक्षपातपूर्ण' अमेरिकी रिपोर्ट की आलोचना की
Page 06 **Syllabus : GS 03 – अर्थव्यवस्था**	केन्या में संकट: ऋण जाल
Page 08 **Syllabus : GS 02 : राजनीति और शासन**	NEET लिखें और दोहराएं
Page 12 **समाचार में स्थान**	काला सागर
Page 06 : संपादकीय विश्लेषण: **Syllabus : GS 2 & 3 - भारतीय राजनीति और भारतीय अर्थव्यवस्था**	वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद एक नई शुरुआत
मानचित्र	**विषय:** भारत के प्रमुख भौतिक विभाग: भारत का तटीय मैदान

Page : 05 GS 02 : International relations

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) द्वारा 2023-24 के दौरान किए गए पारस्परिक मूल्यांकन में भारत ने उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं।

- भारत की पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट, जिसे हाल ही में सिंगापुर में आयोजित एफएटीएफ प्लेनरी में अपनाया गया था, भारत को "नियमित अनुवर्ती" श्रेणी में रखती है, यह एक ऐसा स्थान है जिसे केवल चार अन्य जी-20 देश ही साझा करते हैं।

India achieves 'outstanding outcome' in FATF evaluation

Devesh K. Pandey
NEW DELHI

India has achieved an outstanding outcome in the mutual evaluation conducted during 2023-24 by the Financial Action Task Force (FATF), the government said on Friday.

The Mutual Evaluation Report of India, which was adopted at the FATF plenary held in Singapore from June 26 to 28, places India in the "regular follow-up" category, a distinction shared by only four other G-20 countries.

"This marks a significant milestone in the nation's efforts to combat money laundering (ML) and terrorist financing (TF)," read a Press Information Bureau release.

In a statement, the FATF said the plenary concluded that India had reached a high level of technical compliance with its requirements. The country's anti-money laundering (AML),

The report was adopted at the FATF plenary held in Singapore.

countering the financing of terrorism (CFT), and counter-proliferation financing (CPF) regime was achieving good results, including international cooperation, access to basic and beneficial ownership information, use of financial intelligence, and depriving criminals of their assets.

However, the FATF observed that improvements were needed to strengthen the supervision and implementation of preventive measures in some non-financial sectors. "India also needs to address delays relating to concluding ML and TF prosecutions, and to ensure that CFT measures aimed at preventing the non-profit sector from being abused for TF are implemented in line with the risk-based approach, including by conducting outreach to NPOs [Non-Profit Organisations] on their TF risks," it said.

Among other things, the FATF has recognised the efforts made by India on the issue of mitigating the risks arising from ML/TF, including the laundering of proceeds from corruption, fraud, and organised crime, and the effective measures implemented by India to transition from a cash-based to a digital economy to reduce ML/TF risks. "This recognition is a testament to the rigorous measures implemented over the last 10 years to safeguard the financial system from ML/TF threats," the government said.

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) के बारे में:

- वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) 1989 में स्थापित एक अंतर-सरकारी संगठन है।
- यह G7 देशों द्वारा धन शोधन से निपटने के लिए नीतियाँ विकसित करने की पहल है।
  - o 2001 में, इसके अधिदेश का विस्तार करके आतंकवाद के वित्तपोषण को शामिल किया गया।
  - o इसने आभासी मुद्राओं से भी निपटना शुरू कर दिया है।
- यह अंतर्राष्ट्रीय मानक निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।
- यह एक "नीति-निर्माण निकाय" है जो धन शोधन में राष्ट्रीय विधायी और विनियामक सुधार लाने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति उत्पन्न करने का काम करता है।

- यह सदस्य देशों की "सहकर्मी समीक्षा" ("पारस्परिक मूल्यांकन") के माध्यम से अपनी सिफारिशों को लागू करने में प्रगति की निगरानी करता है।
- FATF सचिवालय पेरिस में स्थित है।

FATF के उद्देश्य:

- FATF मानक निर्धारित करता है और इनके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है:
  o धन शोधन से निपटने के लिए कानूनी, विनियामक और परिचालन उपाय।
  o FATF अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को दुरुपयोग से बचाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर की कमजोरियों की पहचान करने का काम करता है।

FATF के सदस्य:

- FATF में वर्तमान में 38 सदस्य क्षेत्राधिकार और दो क्षेत्रीय संगठन शामिल हैं, जो दुनिया के सभी हिस्सों में अधिकांश प्रमुख वित्तीय केंद्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- भारत 2006 में FATF में पर्यवेक्षक बना। 2010 में, भारत को FATF के 34वें देश के सदस्य के रूप में शामिल किया गया।

FATF मूल्यांकन और इसका महत्व:

- उच्च-स्तरीय अनुपालन: FATF पूर्ण सत्र ने निष्कर्ष निकाला कि भारत FATF आवश्यकताओं के साथ तकनीकी अनुपालन के उच्च स्तर पर पहुँच गया है। भारत की एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML), आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (CFT), और काउंटर-प्रोलिफ़रेशन फ़ाइनेंसिंग (CPF) व्यवस्थाएँ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और लाभकारी स्वामित्व की जानकारी तक पहुँच सहित अच्छे परिणाम प्राप्त कर रही हैं।
- प्रभावी उपाय: भारत का AML/CFT/CPF ढाँचा वित्तीय खुफिया जानकारी का उपयोग करने और अपराधियों को उनकी संपत्ति से वंचित करने में प्रभावी रहा है। मूल्यांकन ने ML/TF जोखिमों को कम करने के लिए नकदी-आधारित से डिजिटल अर्थव्यवस्था में संक्रमण में भारत की सफलता पर प्रकाश डाला।
- प्रयासों की मान्यता: FATF ने पिछले दशक में भारत द्वारा अपनी वित्तीय प्रणाली को ML/TF खतरों से सुरक्षित रखने के लिए उठाए गए कठोर कदमों को मान्यता दी है, जिसमें भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और संगठित अपराध से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करने के प्रयास शामिल हैं।

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्र:

- पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन: FATF ने पाया कि भारत को कुछ गैर-वित्तीय क्षेत्रों में निवारक उपायों के पर्यवेक्षण और कार्यान्वयन को मजबूत करने की आवश्यकता है।
- अभियोजन में देरी: भारत को समय पर न्याय सुनिश्चित करने के लिए ML और TF अभियोजन के समापन में होने वाली देरी को संबोधित करने की आवश्यकता है।
- NPO के लिए CFT उपाय: यह सुनिश्चित करने के लिए सुधार की आवश्यकता है कि गैर-लाभकारी क्षेत्र को TF के लिए दुरुपयोग किए जाने से रोकने के उद्देश्य से CFT उपायों को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, जिसमें NPO को उनके TF जोखिमों के बारे में बताना शामिल है।

नीतिगत निहितार्थ और भविष्य की दिशाएँ:

- पर्यवेक्षण को बढ़ाना: गैर-वित्तीय क्षेत्रों के पर्यवेक्षण को मजबूत करना FATF मानकों के अनुपालन को बनाए रखने और सुधारने के लिए महत्वपूर्ण होगा।

- कानूनी प्रक्रियाओं में तेजी लाना: एमएल और टीएफ अभियोगों में देरी को संबोधित करने से भारत के एएमएल/सीएफटी ढांचे की प्रभावशीलता बढ़ेगी और त्वरित न्याय सुनिश्चित होगा।
- एनपीओ तक पहुंच: एनपीओ तक नियमित पहुंच बनाने और उन्हें मार्गदर्शन प्रदान करने से उन्हें टीएफ जोखिमों को समझने और कम करने में मदद मिलेगी, जिससे एफएटीएफ के जोखिम-आधारित दृष्टिकोण का अनुपालन सुनिश्चित होगा।

सरकार की प्रतिक्रिया:

- एफएटीएफ द्वारा भारत की मान्यता पिछले एक दशक में देश द्वारा अपनी वित्तीय प्रणाली को एमएल और टीएफ खतरों से बचाने के लिए किए गए प्रभावी उपायों को दर्शाती है।
- यह उपलब्धि अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है और वित्तीय अपराधों के खिलाफ वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करने की इसकी क्षमता को बढ़ाती है।
- 2014 से, सरकार ने विधायी परिवर्तन किए हैं और प्रवर्तन प्रयासों को मजबूत किया है, जो अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं और सकारात्मक परिणाम देते हैं, जिसमें आतंकी फंडिंग नेटवर्क को बाधित करना शामिल है।
- राजस्व विभाग ने एफएटीएफ के साथ भारत की भागीदारी का नेतृत्व किया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों की एक विविध टीम ने समर्थन दिया, जिसने एमएल और टीएफ का मुकाबला करने के लिए देश के व्यापक दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया।

मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ भारत सरकार की पहल

1. मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2001 के तहत दिशा-निर्देश और नियम
2. अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) प्रक्रियाएँ
3. 2018 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम
4. काला धन विरोधी अधिनियम, 2015
5. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम (फेरा), 1973
6. 1999 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा)
7. भारतीय सीमा शुल्क अधिनियम, 1962
8. तस्कर और विदेशी मुद्रा हेरफेर संपत्ति जब्ती अधिनियम, 1975
9. विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976
10. आतंकवाद रोकथाम अधिनियम (पोटा), 2002 का प्रवर्तन
11. भारत नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ 1988 के संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (वियना कन्वेंशन) का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

- **ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट**

ये दो तरह की सूचियाँ हैं जिन्हें FATF बनाए रखता है;

1. ब्लैक लिस्ट उन देशों को दी जाती है जिन्हें FATF असहयोगी टैक्स हेवन मानता है। इन देशों को गैर-सहकारी देश या क्षेत्र (NCCT) के रूप में जाना जाता है।
2. ग्रे लिस्ट किसी देश को दी जाने वाली चेतावनी है कि वह ब्लैक लिस्ट में आ सकता है।

- लेकिन जब कोई देश ग्रे लिस्ट में आता है, तब भी उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जैसे ऋण प्राप्त करने में समस्याएँ आर्थिक प्रतिबंध व्यापार में कमी।

Page 05 : GS 2: International Relations : Effect of Policies & Politics of Countries on India's Interests

संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री ने हाल ही में धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के कारण 'विशेष चिंता वाले देश (सीपीसी)', 'विशेष निगरानी सूची (एसडब्ल्यूएल)' वाले देश और 'विशेष चिंता वाले निकाय (ईपीसी)' के रूप में नामित देशों की एक सूची घोषित की।

India slams 'deeply biased' U.S. report on religious freedom

The report reflects 'one-sided projection of issues' and has selectively picked incidents to advance a pre-conceived narrative, says government while questioning the law and order situation in U.S

Kallol Bhattacherjee
NEW DELHI

India on Friday slammed the U.S. State Department's report on International Religious Freedom for 2023 as "deeply biased" and said it reflected "one-sided projection of issues".

During the weekly press briefing, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said the report questioned the "integrity" of certain legal judgments of the Indian courts and highlighted the United States's own record in handling domestic hate crimes.

"The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources and a one-sided projection of issues. This extends even to the depiction of our Constitutional provisions and duly enacted laws of India. It has selectively picked incidents to advance a pre-conceived narrative as well," Mr. Jaiswal said.

On Wednesday, U.S. Secretary of State Antony Blinken unveiled the annual report on international religious freedom and pointed at a number of countries for failing to protect religious rights of minority groups and basic human rights. He noted that a wide array of violence against religious minorities were taking place in India and said, "In India, we see a concerning increase in anti-conversion laws, hate speech, demolitions of homes and places of worship for members of minority faith communities. At the same time, people around the world are also working hard to protect religious freedom."

> The exercise itself is a mix of imputations, misrepresentations, selective usage of facts, reliance on biased sources and a one-sided projection of issues
>
> **RANDHIR JAISWAL**
> MEA spokesperson

In nearly 69 pages dedicated to the state of religious freedom in India, the report elaborated on apparent complicity between the law enforcement agencies and the majoritarian groups and flagged a number of factors like the campaign for Uniform Civil Code (UCC) as well as the campaign for creating a "Hindu Rashtra" in India.

Responding to the criticism, Mr. Jaiswal raised the law and order situation in the U.S. and highlighted the crimes committed by racially motivated individuals against Indians and other coloured communities. "In 2023, India has officially taken up numerous cases in the U.S. of hate crimes, racial attacks on Indian nationals and other minorities, vandalisation and targeting of places of worship, violence and mistreatment by law enforcement authorities, as well as the according of political space to advocates of extremism and terrorism abroad," he said.

Mr. Blinken had focused on Pakistan, India, and other countries that also included the U.S. for growing threat against religious minorities and said, "In India, for example, Christian communities reported that local police aided mobs that disrupted worship services over accusations of conversion activities or stood by while mobs attacked them and then arrested the victims on conversion charges."

The U.S. report also referred to the drive for the UCC and observed that " various personal laws, instead of a uniform civil code, apply to members of different religious communities in matters of marriage, divorce, adoption, and inheritance based on religion, faith, and culture".

Referring to the remarks regarding Indian legal provisions, Mr. Jaiswal said the report appeared to intrude into the legislative affairs of India. "In some cases, the very validity of laws and regulations are questioned by the report, as are the right of legislatures to enact them," he said.

यू.एस. धार्मिक स्वतंत्रता पदनाम

➧ के बारे में:

- अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर संयुक्त राज्य आयोग (USCIRF) सी.पी.सी. के रूप में पदनाम के लिए विदेश मंत्री को देशों की सिफारिश करता है।
- यू.एस. उन देशों में चल रहे धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों को स्वीकार करता है जिन्हें आधिकारिक रूप से नामित नहीं किया गया है। सरकारों से धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले, सांप्रदायिक हिंसा, शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए लंबे समय तक कारावास, अंतरराष्ट्रीय दमन और धार्मिक समुदायों के खिलाफ हिंसा के आह्वान जैसे दुर्व्यवहारों को रोकने का आग्रह किया जाता है।

पदनामांकन के लिए मानदंड:

- यू.एस. इस बात पर जोर देता है कि 1998 में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम (IRFA) के अधिनियमन के बाद से धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना अमेरिकी विदेश नीति का एक मौलिक लक्ष्य रहा है।

विभिन्न श्रेणियों में देशों के पदनाम के लिए मानदंड

- CPC: जब देशों की सरकारें IRFA 1998 के तहत धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के "व्यवस्थित, चल रहे और गंभीर उल्लंघन" में संलग्न होती हैं या सहन करती हैं।
- SWL: यह सरकारों द्वारा गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघनों को अंजाम देने या सहन करने पर आधारित है।
- EPCs: व्यवस्थित, निरंतर और गंभीर धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के लिए।

2024 में धार्मिक स्वतंत्रता उल्लंघन के लिए नामित देश:

- विशेष चिंता के देश: नामित देशों में चीन, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान, क्यूबा, इरिट्रिया, ईरान, निकारागुआ, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और म्यांमार शामिल हैं।
- विशेष निगरानी सूची वाले देश: अल्जीरिया, अजरबैजान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कोमोरोस और वियतनाम को "विशेष निगरानी सूची वाले देश" के रूप में लेबल किया गया है।
- विशेष चिंता की संस्थाएँ: अल-शबाब, बोको हराम, हयात तहरीर अल-शाम, हौथी, आईएसआईएस-साहेल, आईएसआईएस-पश्चिम अफ्रीका, अल-कायदा से संबद्ध जमात नस्र अल-इस्लाम वाल-मुस्लिमीन और तालिबान जैसे आतंकवादी संगठनों को "विशेष चिंता की संस्थाएँ" के रूप में नामित किया गया है।

नोट

- इससे पहले, USCIRF ने अपनी 2023 की रिपोर्ट में भारत को CPC के रूप में नामित किया था, जिसमें विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुसलमानों, ईसाइयों और दलितों के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन का हवाला दिया गया था।
- रिपोर्ट में भारत सरकार के कुछ कानूनों और नीतियों की भी आलोचना की गई थी, जैसे कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC), साथ ही धार्मिक असंतुष्टों और कार्यकर्ताओं द्वारा कथित उत्पीड़न, हिंसा और भेदभाव का सामना करना।
- भारत सरकार ने रिपोर्ट को 'पक्षपाती और प्रेरित' बताकर खारिज कर दिया। सरकार ने अपने सभी नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा और बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता का भी बचाव किया, चाहे उनकी आस्था कुछ भी हो।

धर्म की स्वतंत्रता की स्थिति

भारत:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25-28 मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं। संविधान यह भी कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और किसी भी धर्म को देश का आधिकारिक धर्म घोषित नहीं करता है।
- अनुच्छेद 25 (विवेक की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र पेशा, अभ्यास और प्रचार)।
- अनुच्छेद 26 (धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 27 (किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के बारे में स्वतंत्रता)।
- अनुच्छेद 28 (कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता)।
- इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित हैं।

वैश्विक स्तर पर:

- मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 18 में पुष्टि की गई है कि, "प्रत्येक व्यक्ति को विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है; इस अधिकार में अपने धर्म या विश्वास को बदलने की स्वतंत्रता, और अकेले या दूसरों के साथ समुदाय में और सार्वजनिक या निजी रूप से, शिक्षण, अभ्यास, पूजा और पालन में अपने धर्म या विश्वास को प्रकट करने की स्वतंत्रता शामिल है।"

Page 06 : GS 3 : Economy

केन्या भारी कर्ज के बोझ से उत्पन्न गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जो कर वृद्धि का प्रस्ताव करने वाले एक विवादास्पद वित्त विधेयक से और भी जटिल हो गया है। इस मुद्दे के परिणामस्वरूप व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो ऋण प्रबंधन और लोक कल्याण के बीच नाजुक संतुलन को दर्शाता है।

वित्त विधेयक के इर्द-गिर्द विवाद:

- मुद्दे का परिचय: केन्याई सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं पर कर बढ़ाने के लिए IMF समर्थित वित्त विधेयक पेश करने के निर्णय ने विरोध को जन्म दिया। देश की ऋण-ग्रस्त अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से किए गए इस कदम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा।
- जन भावना पर बहस: सैनिटरी पैड, ईंधन और ब्रेड जैसी वस्तुओं पर कर बढ़ाने के विधेयक के प्रस्ताव ने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें कम से कम 23 लोग मारे गए और 200 घायल हो गए।
- सरकार की प्रतिक्रिया: विरोध प्रदर्शनों के बाद, राष्ट्रपति विलियम रुटो ने घोषणा की कि वे विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, जिससे सरकार को आर्थिक चुनौतियों का समाधान करते समय जन भावना पर विचार करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

केन्या की अर्थव्यवस्था और ऋण स्थिति पर प्रभाव:

- ऋण बोझ: केन्या का घरेलू और विदेशी दोनों तरह का ऋण पिछले साल 80 बिलियन डॉलर तक पहुँच गया, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग तीन-चौथाई है। देश अपने राजस्व का आधा से ज़्यादा हिस्सा ऋण सेवा पर खर्च करता है।
- आर्थिक तनाव: कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध ने केन्या की वित्तीय परेशानियों को और बढ़ा दिया, वैश्विक खाद्य और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया।
- बहुराष्ट्रीय ऋणदाताओं पर निर्भरता: केन्या का विकास मॉडल IMF, विश्व बैंक और चीन जैसे द्विपक्षीय भागीदारों से मिलने वाले ऋणों पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। हालाँकि, बढ़ता ऋण बोझ आर्थिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियाँ पेश करता है।

चुनौतियाँ और नीतिगत निहितार्थ:

- कार्यान्वयन बाधाएँ: प्रस्तावित कर वृद्धि का उद्देश्य अतिरिक्त 200 बिलियन केन्याई शिलिंग ($1.55 बिलियन) जुटाना था, लेकिन इसे जनता के कड़े विरोध और कार्यान्वयन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।

Debt trap

Kenya must find ways to service its debt without punishing its people

The Kenyan President's decision to rush through Parliament an IMF-backed finance Bill that sought to increase taxes on everything from imported sanitary pads and tyres to bread and fuel backfired, with protesters storming a section of the Parliament on Tuesday. After the protests, which rights groups said had left at least 23 people killed and 200 injured, President William Ruto announced that he would not sign the Bill. The Kenyan government could have avoided this bloody confrontation had it paid more attention to the public mood. The government's plan was to raise an extra 200 billion Kenyan shilling (some $1.55 billion) in taxes. Earlier this year, the country had reached a deal with the IMF to secure $941 million in additional lending. In subsequent talks in Nairobi, they agreed to reforms, including tax increases, to stabilise the country's debt-battered financial situation. The IMF deal triggered street protests. But the government still went ahead with the plan to impose additional taxes on the country of 54 million people, a third of whom still live in poverty.

The government argues that its hands were tied as the country struggles to repay its huge debt burden – domestic and foreign debt was a staggering $80 billion last year, accounting for nearly three-fourths of its GDP. The government spent more than half of its revenue servicing debts last year. The crisis is an indictment of the development model Kenya and several other countries in the continent follow. Kenya, one of the fastest growing countries in Africa, has borrowed heavily from multinational lenders such as the World Bank and the IMF as well as bilateral partners such as China, to finance its infrastructure projects. But growth tanked and expenses rocketed during the COVID-19 pandemic years. The Ukraine war has led to a spike in global food and energy prices, hitting African economies. When the advanced countries increased interest rates to fight inflation, the payment burden of debt-ridden countries ballooned. In Africa, Zambia and Ghana defaulted on their payments, and then reached agreements with their creditors to restructure debt. Mr. Ruto, who came to power in 2022, has promised to address the debt problem. But he has been unimaginative and conventional, letting the unpopular IMF dictate one-sided policy measures. Now that the Bill has been withdrawn, he will have to tread carefully. He has yet to spell out his next measures, besides saying that austerity measures would be rolled out. He will have to strike a balance between his people's needs and Kenya's creditors. Multinational and bilateral lenders should help the debt-laden countries in Africa come out of this trap without punishing their poor populace.

- आईएमएफ की भूमिका: अतिरिक्त ऋण और कर सुधारों के लिए आईएमएफ की कठोर शर्तों की एकतरफा होने के कारण आलोचना की गई है, जिससे संभावित रूप से सार्वजनिक असंतोष और आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है।
- संतुलित उपायों की आवश्यकता: आगे बढ़ते हुए, राष्ट्रपति रूटो को जनता की ज़रूरतों के साथ मितव्ययिता उपायों को संतुलित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं को अपने नागरिकों को और अधिक गरीब बनाए बिना ऋण संकट में फंसे अफ्रीकी देशों का समर्थन करना चाहिए।

Page 08 : GS2 – Polity and Governance

यूजीसी-नेट, यूजीसी-सीएसआईआर और एनईईटी-पीजी जैसी परीक्षाओं को रद्द करने, स्थगित करने और फिर से आयोजित करने की मांग के कारण भारत की उच्च-स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं की अखंडता, विश्वसनीयता और वैधता जांच के दायरे में है। ये मुद्दे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे प्रयासों के बावजूद एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली स्थापित करने में प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करते हैं।

Students get their documents checked at an examination centre in Bengaluru before entering the hall for NEET on May 5. K. BHAGYA PRAKASH

Write NEET and repeat

The number of students who write NEET more than once — taking a year or more off exclusively to prepare for it — to finally get a seat in a medical college is on the rise. **Jayanth R.** speaks to students and parents on the different issues

"I did not get a medical seat because I got only 320 out of 720 marks in NEET (National Eligibility cum Entrance Test) results last year. I had the dream of becoming a doctor since childhood, so I skipped the year, joined a coaching centre, and studied hard. This year, I got 600 marks, and I am hoping to get a medical seat," said Namrata (name changed), a 20-year-old student from Kolar, a town about 65 km from Bengaluru.

Pradyumna, from Bengaluru, is also a repeater. He appeared for NEET for a third time this year and is waiting for medical counselling. "I have been writing NEET continuously since 2021, hoping to get a government quota seat. I got the 32,000th rank in this NEET exam. Last year, I secured the 3,52,000th rank even though I trained all year," he said.

For Monica S.J., a resident of a village in Ramanagara district, close to Bengaluru, it has been a challenge to attend college as well as prepare for NEET since she is from a rural area. "I could not go to coaching centres because there are none nearby. I studied with notes from college lectures, online resources, and by referring to guides," she said. But her rank is below 17 lakh, which means a medical seat is out of the question.

> It is the students' right to appear again and again for NEET. However, the Union government should impose some restrictions on repeaters.
> **PUSHPALATHA**
> parent

Recurring stories

Several such students have written the NEET this year. They are waiting for counselling, which has been delayed because of the alleged exam scam and the ongoing Central Bureau of Investigation investigation.

Now, even high scorers are unsure of getting a seat of their choice. For example, Kalyan V. of Bengaluru, who got the All India Rank-1 (AIR-1) in the NEET this year and wanted to join the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi, is not certain about getting a seat since an unprecedented 67 students have got AIR-1.

The alleged exam scam this year aside, statistics show that the trend of students taking a break after II PU to prepare for NEET exclusively has been growing. A large number of candidates are repeaters.According to the information provided by the Karnataka Examination Authority (KEA), out of the total 10,917 medical seats available in 2023, as many as 7,012 went to repeaters, that is 64.2%. This includes a student who passed the II PU exam in 2007 and attempted UGNEET successfully. This year, out of 89,088 students who have qualified for counselling, 53,616 are repeaters, that is 60.2%.

Among those who have registered for counselling, which has yet to start, is one candidate each who passed II PU in 1999, 2000, 2004, 2009, 2011, 2013, and 2015.

Students protesting at Freedom Park on June 11, against the alleged irregularities in the conduct of NEET; (Left) Candidates at a NEET examination centre in Mangaluru on May 5. K. MURALI KUMAR & H.S. MANJUNATH

"Freshers, meaning students who are writing II PU exams and also taking NEET in the same year, find it hard to compete with repeaters who have dedicated a full year for preparation," said Divya Prakash, a student from a Bengaluru college.

> Freshers find it hard to compete with repeaters who have dedicated a full year for preparation.
> **DIVYA PRAKASH**
> student

Demand for restrictions

Students and parents are unhappy with this trend of candidates writing the exam repeatedly. They are calling for restrictions on the number of attempts. "As of now, it is their right to appear again and again for NEET.

However, the Union government should impose some restrictions on repeaters," Pushpalatha, a parent from Bengaluru, argued.

Speaking to *The Hindu*, Sharan Prakash Patil, Karnataka Minister of Medical Education, said, "In this regard, with the concurrence of the States, the Union government should bring regulations. There is an age limit for the entrance exams conducted for the various government recruitments. Similarly, repeaters appearing for NEET should have a limit of two or three attempts or an age limit."

Coaching centres

Meanwhile, intense competition for NEET has resulted in coaching centres mushrooming. According to Higher Education Department estimates, there are around 2,000 coaching centres in Karnataka. Most repeaters join one of them and train for a year. These centres charge a hefty fee, conduct classes with boarding facilities, and have strict schedules and restrictions.

"The question pattern has got tougher by the year. Because of mobile phones, TV and the internet, children are unable to study properly at home. So, at the coaching centres, we keep them away from all these distractions," said Pradeep Eshwar, an MLA and founder of Parishrama NEET Academy, Bengaluru. "We make them study continuously for at least six to seven hours a day. Thus, coaching centre students are more successful in NEET."

Even though the Higher Education Department has ordered that these coaching centres should be registered under the Karnataka Education Act, 1983, pay a fee of ₹25,000, and meet 22 conditions, none have complied so far. However, Pradeep Eshwar said Parishrama NEET Academy has obtained permission from the Ministry of Corporate Affairs to run a coaching centre. "I am paying 18% GST on the fees received from each student," he said.

Allotment of medical seats in 2023

Total medical seats allotted: 10,916
Seats allotted to repeaters 7,012
Seats allotted to regular students 3,904

Number of repeaters in 2023	Year in which repeaters passed II PU
4,600	2022
1,640	2021
470	2020
176	2019
63	2018
30	2017
17	2016
9	2015
1	2014
2	2013
1	2011
1	2010
1	2009
1	2007

Beyond their reach

While on the one side, academies are thriving, on the other side, medical education is beyond reach for students who have no adequate financial resources or can't skip a year. This is particularly true for those from rural areas or those who have studied in Kannada medium schools. Despite the NEET being conducted in regional languages, this time, the number of students who wrote NEET in Kannada is only 1,065.

"Medical courses are a daydream for rural and Kannada medium students," said Sripada Bhat, an education activist. "Those who have money go to coaching centres. Except for tier 1 and tier 2 cities, there are no coaching centres available for CET, NEET and JEE exams. Therefore, the government should immediately take steps to provide training for these exams at the college level."

No free training

Earlier, the Higher Education Department used to train students seeking admission to engineering courses through an online programme called GetSetGo. It also helped medical seat aspirants partially, as they also trained in Physics and Chemistry subjects as part of this course. However, this hasn't happened for a year.

In the 2024 Budget, the Karnataka government announced that it would provide CET and NEET training in all government-run PU colleges. However, no steps have been taken to implement this yet. Medical Education Minister Sharan Prakash Patil said, "We are working on that. From this academic year, CET and NEET coaching will be started in the government colleges."

Meanwhile, Monica, the student from Ramanagara, has given up on her dream of pursuing medical education. She cannot afford to drop one year, and even if she does, there are no specialized NEET training centres near her village. "I am just hoping to get an engineering seat or join some other professional course that will fetch me a job," she said.

परीक्षा की सत्यनिष्ठा को लेकर विवाद:

- इस मुद्दे का परिचय: पेपर लीक और परीक्षा स्थगन को लेकर हाल ही में हुए विवादों ने भारत की प्रवेश परीक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर किया है, जिससे एक विश्वसनीय और विश्वास-आधारित प्रणाली की आवश्यकता पर बल दिया गया है।
- अल्पकालिक परिवर्तनों पर बहस: 2017 में पर्याप्त प्रणालीगत सुधार के बिना राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की स्थापना से बार-बार मुद्दे सामने आए हैं, जिससे सुसंगत और विश्वसनीय मूल्यांकन सुनिश्चित करने का इसका उद्देश्य कमज़ोर हुआ है।
- सरकार के सक्रिय उपाय: सीबीआई को मामले भेजने और के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एक समिति बनाने सहित सरकार की प्रतिक्रिया, संकट के संभावित परिणामों की उसकी समझ और व्यापक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

संचालन ढांचे में चुनौतियाँ:

- स्थिर परिचालन प्रथाएँ: अपनी आशाजनक शुरुआत के बावजूद, NTA का परिचालन ढांचा स्थिर बना हुआ है, जो तकनीकी खतरों और परिचालन कमियों को दूर करने में विफल रहा है। बुनियादी ढाँचे में वृद्धि और कुशल कर्मियों की कमी के कारण घटिया प्रदर्शन हुआ है।
- कुप्रबंधन के उदाहरण: एन.ई.ई.टी.ए. द्वारा एन.ई.टी.ए. की ओर से बिना किसी संरचित मानदंड के एन.ई.टी.ए. की ओर से जारी किए गए प्रतिपूरक अंक, इसके संचालन में लापरवाही को दर्शाते हैं, जिससे जनता का विश्वास और कम होता है।
- व्यापक सुधारों की आवश्यकता: एन.टी.ए. को पारंपरिक मूल्यांकन विधियों से गतिशील, प्रौद्योगिकी-संचालित मूल्यांकन प्रणाली में परिवर्तन के लिए नवीन दृष्टिकोण और महत्वपूर्ण अवसंरचना निवेश को अपनाना चाहिए।

संघीय संवेदनशीलता और विश्वास निर्माण:

- विश्वास का महत्व: एक विश्वसनीय परीक्षा प्रणाली विकसित करने के लिए विश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। संविधान में शिक्षा की समवर्ती सूची की स्थिति के कारण शिक्षा की गुणवत्ता और मूल्यांकन में असमानताएँ इस मुद्दे को और बढ़ा देती हैं।
- प्रणालीगत खामियों का दोहन: असमानताएँ और विसंगतियाँ कोचिंग उद्योग को सीखने के अंतराल का फायदा उठाने के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे पेपर लीक जैसी अनैतिक प्रथाएँ होती हैं।
- सहयोगी तंत्र: एन.टी.ए. को अधिकार और संघीय तथा राज्य कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों को शामिल करते हुए एक सहयोगी ढाँचे के साथ सशक्त बनाना परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए आवश्यक है।

Page 12: Location In News : Black sea

Russia warns of 'response' against U.S. drones over Black Sea

Associated Press
MOSCOW

Russia's Defence Minister ordered officials to prepare a "response" to U.S. drone flights over the Black Sea, the Ministry said on Friday, in an apparent warning that Moscow may take forceful action to ward off the American reconnaissance aircraft.

The Russian Defence Ministry noted a recent "increased intensity" of U.S. drones over the Black Sea, saying they "conduct intelligence and targeting for precision weapons supplied to the Ukrainian military by Western countries for strikes on Russian facilities".

"It shows an increased involvement of the U.S. and other NATO countries in the conflict in Ukraine on the side of the Kyiv regime," the Ministry said in a statement.

It noted that "such flights significantly increase the probability of incidents involving Russian military aircraft, which increases the risk of direct confrontation between the alliance and the Russian Federation".

"NATO members will bear responsibility for that," it added.

The Ministry said that Defence Minister Andrei Belousov has directed the General Staff to "make proposals on measures of operative response to provocations".

Washington and Moscow have clashed before over U.S. drones in the Black Sea. In a 2023 incident, a Russian fighter jet damaged an American drone there, causing it to crash. A repeat of such a confrontation could further fuel tensions.

काला सागर के बारे में

- यह यूरोप के दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित एक बड़ा भू-भाग वाला समुद्र है।
- यह लगभग 436,000 वर्ग किलोमीटर (168,000 वर्ग मील) के क्षेत्र को कवर करता है।
- सीमावर्ती देश: इसकी सीमा उत्तर में यूक्रेन, उत्तर-पूर्व में रूस, पूर्व में जॉर्जिया, दक्षिण में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया से लगती है।

o काला सागर की सीमा वाले देश हैं-

1. यूक्रेन

2. रूस
3. जॉर्जिया
4. तुर्की
5. बुल्गारिया
6. रोमानिया

- रूस की समुद्र पर सबसे लंबी तटरेखा (2,300 किमी) है, उसके बाद तुर्की (1,329 किमी) और यूक्रेन (1,282 किमी) हैं।
- क्रीमिया प्रायद्वीप उत्तर से इसमें फैला हुआ है।
- यह बोस्पोरस जलडमरूमध्य, मरमारा सागर और डार्डनेल्स जलडमरूमध्य के माध्यम से एजियन सागर (भूमध्य सागर की एक शाखा) से और केर्च जलडमरूमध्य द्वारा आज़ोव सागर से जुड़ा हुआ है।
- एशिया माइनर में संरचनात्मक उथल-पुथल के कारण कैस्पियन बेसिन भूमध्य सागर से अलग हो गया, काला सागर धीरे-धीरे अलग-थलग हो गया; अब इसकी लवणता दुनिया के महासागरों की तुलना में आधी से भी कम है।
- काला सागर बेसिन के चारों ओर मीठे पानी का प्रवाह प्राप्त करता है। यह कई नदियों, जैसे डेन्यूब, दक्षिणी बग, नीपर, रियोनी और डेनिस्टर का मिलन बिंदु है।
- यह सबसे बड़ा मेरोमिक्टिक बेसिन है, जिसका अर्थ है कि समुद्र की निचली और ऊपरी परतों के बीच पानी की आवाजाही दुर्लभ है।
- यह दुनिया के सबसे बड़े एनोक्सिक बेसिन में से एक है, जिसका अर्थ है कि इसमें बहुत कम घुलित ऑक्सीजन वाले क्षेत्र हैं।
- द्वीप: इसमें कई द्वीप हैं, जिनमें सबसे बड़े स्नेक आइलैंड (यूक्रेन), गिरेसन आइलैंड (तुर्की) और सेंट इवान आइलैंड (बुल्गारिया) हैं।

रूस के लिए काला सागर का महत्व

- काला सागर पारंपरिक रूप से यूरोप के लिए रूस का गर्म पानी का प्रवेश द्वार रहा है।
- रूस के लिए, काला सागर भूमध्य सागर के लिए एक कदम है।
- यह नाटो और उसके बीच एक रणनीतिक बफर के रूप में कार्य करता है।
- यह भूमध्य सागर में रूसी शक्ति को प्रदर्शित करता है और दक्षिणी यूरोप के प्रमुख बाजारों के लिए आर्थिक प्रवेश द्वार को सुरक्षित करता है। रूस 2014 के क्रीमिया संकट के बाद से काला सागर पर पूर्ण नियंत्रण पाने के प्रयास कर रहा है।

Page : 06 संपादकीय विश्लेषण

GS Paper 02 : भारतीय राजनीति

GS Paper 03 : भारतीय अर्थव्यवस्था - संसाधनों के जुटाने से संबंधित मुद्दे।.

PYQ: (UPSC CSE (M) GS-3 2019) भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में शामिल किए गए अप्रत्यक्ष करों की सूची बनाएँ। साथ ही, जुलाई 2017 से भारत में लागू किए गए जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर टिप्पणी करें। (150 w/10m)

Practice Question: कर व्यवस्था को सरल बनाने के लिए जीएसटी परिषद द्वारा हाल ही में उठाए गए कदमों और करदाताओं और अर्थव्यवस्था पर उनके संभावित प्रभाव पर चर्चा करें? (150 w/10m)

प्रसंग : जीएसटी परिषद ने हाल ही में नौ महीने के अंतराल के बाद बैठक की, जिसमें करदाताओं के बोझ को कम करने और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कर राहत उपाय, प्रक्रियात्मक सरलीकरण और सुधार पेश किए गए। प्रमुख निर्णयों में छात्रावास आवास और रेलवे सेवाओं के लिए छूट और मुनाफाखोरी विरोधी खंड को समाप्त करना शामिल था, साथ ही भविष्य की बैठकों में दरों को और अधिक तर्कसंगत बनाने की योजना भी शामिल थी।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद

- वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था 2016 में संसद के दोनों सदनों द्वारा संवैधानिक (122वां संशोधन) विधेयक पारित किए जाने के बाद लागू हुई।
- जीएसटी परिषद केंद्र और राज्यों का संयुक्त मंच है।
- संशोधित संविधान के अनुच्छेद 279ए (1) के अनुसार इसकी स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की गई थी।
- परिषद के सदस्यों में केंद्र से केंद्रीय वित्त मंत्री (अध्यक्ष), केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त) शामिल हैं।
- प्रत्येक राज्य वित्त या कराधान के प्रभारी मंत्री या किसी अन्य मंत्री को सदस्य के रूप में नामित कर सकता है।
- अनुच्छेद 279 के अनुसार, परिषद का उद्देश्य जीएसटी से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र और राज्यों को सिफारिशें करना है, जैसे कि वे वस्तुएं और सेवाएँ जिन्हें जीएसटी के अधीन किया जा सकता है या छूट दी जा सकती है, मॉडल जीएसटी कानून।
- यह जीएसटी के विभिन्न दर स्लैब पर भी निर्णय लेता है।

हाल ही में

- परिषद की बैठक पिछले सप्ताह लगभग नौ महीनों में पहली बार हुई थी।

- 11 नए राज्य मंत्रियों के शामिल होने और केंद्र में एनडीए सरकार के पुनर्गठन के साथ, परिषद ने उद्योग जगत की प्रतिक्रिया और अधिकारियों द्वारा जांच के आधार पर स्पष्टीकरण, सुधार, सहनशीलता और अन्य प्रक्रियात्मक परिवर्तनों के एक भरे-पूरे एजेंडे के साथ नए सिरे से शुरुआत की, जिसकी मंजूरी का इंतजार था।
- फिर भी, यह काफी सराहनीय है कि परिषद, राज्यों के साथ केंद्रीय बजट परामर्श से पहले दोपहर में, करदाताओं की स्थिति को आसान बनाने, मुकदमेबाजी को कम करने और यहां तक कि कुछ वस्तुओं पर कर राहत प्रदान करने के उद्देश्य से कई मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंच सकी।
- छात्रों की मदद के लिए, 20,000 रुपये प्रति माह तक की लागत वाले छात्रावास आवास को पूरी तरह से जीएसटी से छूट दी गई है, साथ ही यात्रियों द्वारा ली जाने वाली रेलवे सेवाओं को भी।
- पैकिंग कार्टन, दूध के डिब्बे और सौर कुकर के लिए एक समान 12% की दर को मंजूरी दी गई है, जिससे सामग्री या प्रौद्योगिकियों के आधार पर वर्गीकरण के भ्रामक अंतर दूर हो गए हैं।
- परिषद ने जीएसटी के पहले तीन वर्षों के लिए कर बकाया पर ब्याज और जुर्माना माफ करने का भी विकल्प चुना, बशर्ते कि उनका भुगतान मार्च 2025 तक किया जाए।
- इसके अलावा, इसने अपील दायर करने के लिए निर्धारित पूर्व-जमा राशि को कम कर दिया, जिसमें आगामी जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के साथ दायर की जाने वाली अपीलें भी शामिल हैं, और करदाताओं के लिए पिछले रिटर्न में त्रुटियों या चूक को ठीक करने के लिए एक नया फॉर्म स्वीकृत किया।
- अनावश्यक बातों से परे, परिषद ने मुनाफाखोरी विरोधी खंड को समाप्त करने पर भी हस्ताक्षर किए, जिसके तहत फर्मों को किसी भी कर कटौती लाभ को ग्राहकों को देना आवश्यक था, और पूरे भारत में चरणबद्ध तरीके से सभी जीएसटी पंजीकरणों के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य किया।

आगे की राह

- जीएसटी परिषद की हालिया बैठक ने सात साल पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल और सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया।
- इन निर्णयों का जमीनी स्तर पर प्रभाव आगे आने वाले बारीक विवरणों पर निर्भर करेगा, लेकिन करदाताओं के बोझ को कम करने और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का इरादा स्पष्ट है।
- अगस्त में होने वाली बैठक और जीएसटी ढांचे को तर्कसंगत बनाने तथा वर्तमान में बहिष्कृत वस्तुओं को इसमें शामिल करने के भविष्य के प्रयास अधिक व्यापक और कुशल जीएसटी प्रणाली प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद:

- संवैधानिक आधार: जीएसटी परिषद की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279ए के तहत की गई है।
- गठन: इसका गठन 12 सितंबर, 2016 को किया गया था।
- अध्यक्ष: केंद्रीय वित्त मंत्री जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं।
- सदस्य: इसमें केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री और वित्त या कराधान के प्रभारी प्रत्येक राज्य के मंत्री शामिल हैं।
- निर्णय लेना: निर्णयों के लिए तीन-चौथाई बहुमत की आवश्यकता होती है; केंद्र सरकार के पास एक-तिहाई वोट होते हैं, और राज्यों के पास सामूहिक रूप से दो-तिहाई वोट होते हैं।

कार्य:

  - o कर दरों, छूट सूची और सीमा सीमा की सिफारिश करना।
  - o कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों का सुझाव देना।
  - o जीएसटी के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का समाधान करना।
- बैठकें: आमतौर पर समीक्षा करने और सिफारिशें करने के लिए समय-समय पर बुलाई जाती हैं।

- महत्व: इसका उद्देश्य पूरे भारत में एक समान और सरलीकृत कर संरचना सुनिश्चित करना, व्यापार को आसान बनाना और कर चोरी को कम करना है।
- प्रभाव: अप्रत्यक्ष करों को सुव्यवस्थित किया है, कई राज्य और केंद्रीय करों को प्रतिस्थापित किया है, और एकल राष्ट्रीय बाजार की सुविधा प्रदान की है।

मुनाफाखोरी विरोधी धारा:

- जीएसटी के तहत मुनाफाखोरी विरोधी धारा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय कम कर दरों या बढ़े हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उपभोक्ताओं को दें।
- यह प्रावधान, राष्ट्रीय मुनाफाखोरी विरोधी प्राधिकरण (NAA) द्वारा शासित है।
- यह अनिवार्य करता है कि कर दरों में किसी भी कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट से लाभ के परिणामस्वरूप वस्तुओं या सेवाओं की कीमत में समान कमी होनी चाहिए, ताकि व्यवसायों को उपभोक्ता की कीमत पर अनुचित लाभ उठाने से रोका जा सके।

भारत के प्रमुख भौतिक प्रभाग

1. हिमालय पर्वत
2. उत्तरी मैदान
3. प्रायद्वीपीय पठार
4. भारतीय रेगिस्तान
5. तटीय मैदान
6. द्वीप

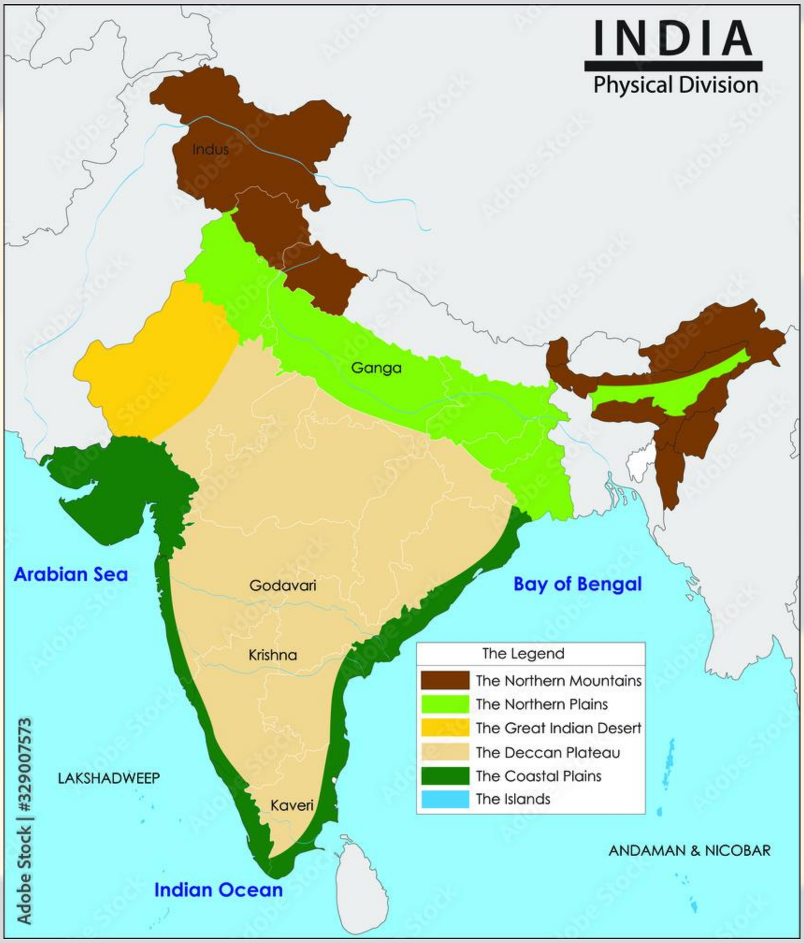

भारत का तटीय मैदान

- तटीय मैदान समुद्र तट से सटा समतल, निचला इलाका होता है। फॉल लाइन आमतौर पर तटीय मैदान और पाइडमोंट क्षेत्र के बीच की सीमा को चिह्नित करती है।
- भारत के तटीय मैदान दक्कन के पठार के दोनों ओर, भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर स्थित हैं। वे पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक लगभग 6,150 किलोमीटर तक फैले हुए हैं।
- भारतीय समुद्र तट जो 7516.6 किलोमीटर लंबा है, अंडमान, निकोबार और लक्षद्वीप द्वीपों के साथ 6100 किलोमीटर मुख्य भूमि तट को कवर करता है।
- भारत की सीधी और नियमित तटरेखा क्रेटेशियस काल के दौरान गोंडवाना भूमि के दोष का परिणाम है।
- भारत की तटरेखा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को छूती है। पश्चिमी तटीय मैदान अरब सागर के किनारे हैं जबकि पूर्वी तटीय मैदान बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित हैं।
- भारत के तटीय मैदानों को मोटे तौर पर पश्चिमी तटीय मैदानों और पूर्वी तटीय मैदानों में विभाजित किया गया है।

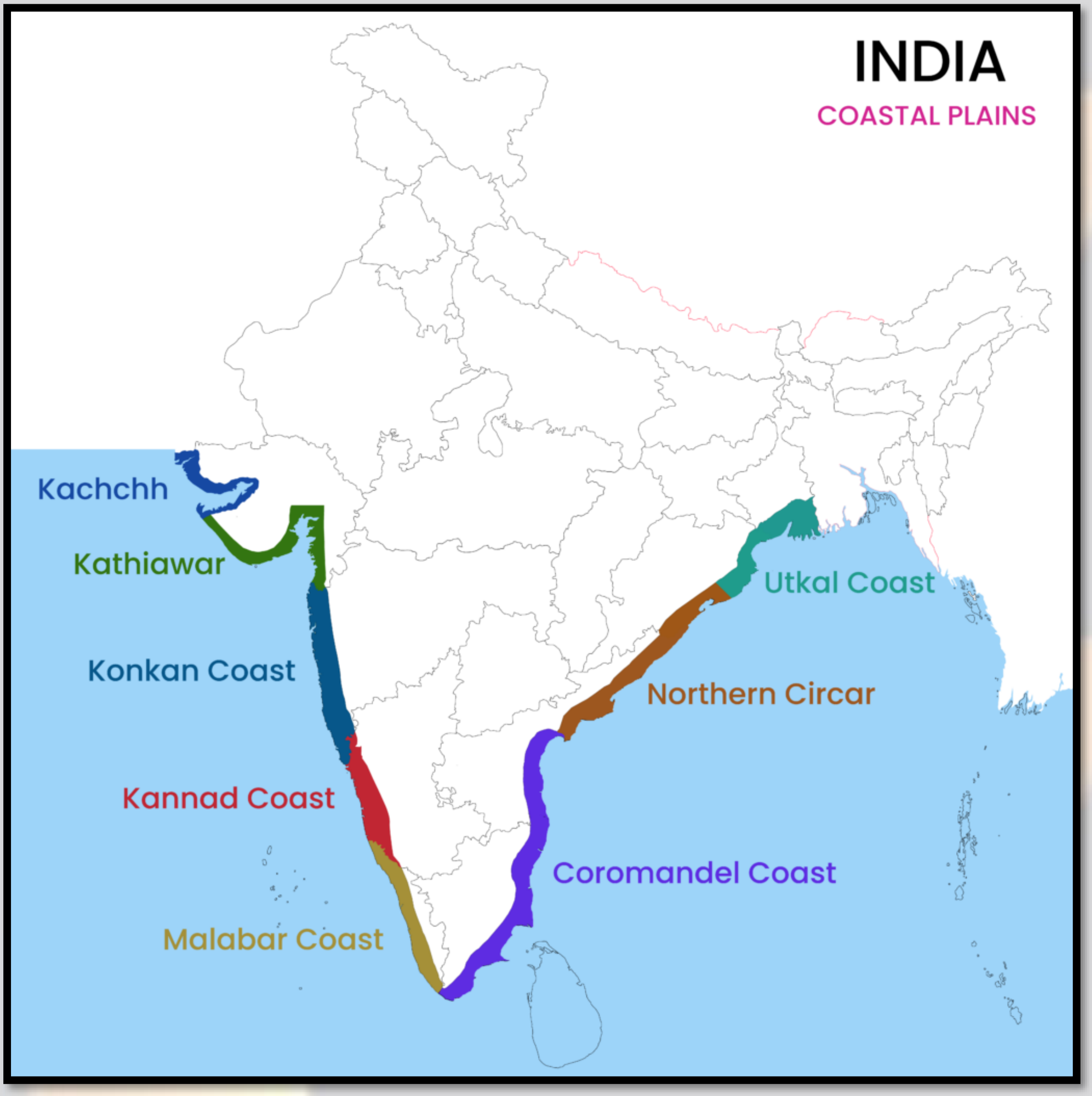

- **भारत के तटीय मैदान को मोटे तौर पर 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है:**

1. गुजरात / काठियावाड़ तटीय मैदान
2. पश्चिमी तटीय मैदान
3. पूर्वी तटीय मैदान

- गुजरात / काठियावाड़ तटीय मैदान
- यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोढ़ निक्षेपों से बना है। इसके दक्षिण में अरब सागर और पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप है।

पश्चिमी तटीय मैदान

- भारत का पश्चिमी तट पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है।
- इस तट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1.कोंकण तट

महाराष्ट्र और गोवा

2.कर्नाटक तट या कनारा तट

गोवा से कर्नाटक - मंगलुरु

3. मालाबार तट

मंगलुरु से कन्याकुमारी

- तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट (महाराष्ट्र और गोवा) कहा जाता है,
- मध्य भाग को कर्नाटक तट या कनारा तट (गोवा से कर्नाटक - मंगलुरु) और
- दक्षिणी भाग को मालाबार तट (मंगलुरु से कन्याकुमारी) कहा जाता है

पूर्वी तटीय मैदान

- पूर्वी तटीय मैदान महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने के कारण बहुत उपजाऊ है।
- इस तट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है।

1. कोरोमंडल तट

कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच

2. उत्तरी सरकार तट

महानदी और कृष्णा नदियों के बीच

3. उत्कल तट

महानदी डेल्टा क्षेत्र

1. कोरोमंडल तट (कृष्णा और कावेरी नदियों के बीच)
2. उत्तरी सरकार तट (महानदी और कृष्णा नदियों के बीच)
3. महानदी डेल्टा क्षेत्र को उत्कल मैदान कहा जाता है

भारत में प्रमुख समुद्री बंदरगाह

भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 205 अधिसूचित छोटे और मध्यवर्ती बंदरगाह हैं जो भारी मात्रा में यातायात को संभालते हैं।

भारत के सभी बंदरगाह भारत के 9 तटीय राज्यों में स्थित हैं:

1. गुजरात
2. महाराष्ट्र
3. गोवा
4. कर्नाटक
5. केरल
6. पश्चिम बंगाल,
7. ओडिशा,
8. आंध्र प्रदेश, और
9. तमिलनाडु।

Will be Continue.....